

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(588) आकाशि/नि.सं./2006/

506

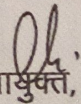
दिनांक:- 3-2-2016

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015-16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित विषय/संकाय
खण्डेला सहशिक्षा महाविद्यालय, कांवट रोड, ग्राम दायरा, खण्डेला, सीकर।	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	अनिवार्य विषयों सहित - बी.ए.- हिन्दी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। बी.कॉम.-एबीएसटी, ईएफएम, व्यावसायिक प्रशासन।

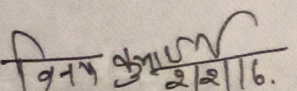
- सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. /राज्य सरकार/ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।


आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर।
- कुल सचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (541) आकाशि/नि.स./2006/ १८

दिनांक:-05/10/2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
खण्डेला सहशिक्षा महाविद्यालय, कांवट रोड, ग्राम दायरा, खण्डेला, सीकर।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर- विज्ञान संकाय-वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित। स्नातकोत्तर स्तर पर- कला संकाय-हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान।

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्साम्यन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर।
- कुल सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निर्देशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)